झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0योजना–54 / 11 (पार्ट–2) / 10 / बजट / राँची, दिनांक– 02.09.2022

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, राँची / धनबाद / भागा / निरसा
खुटरी / लातेहार / कोडरमा / दुमका

राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची / बोकारो।

विषय :– **राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण / स्थापना आदि / संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु OSP में कुल रू0 2,18,25,384 / – (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 03 / योजना दिनांक 10.05.2022 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिये स्वीकृत्यादेश सं0 735 दिनांक 10.08.2022 द्वारा किये गये अवधि विस्तार के फलस्वरूप वेतन भुगतान हेतु OSP में कुल रू0 **2,18,25,384 / – (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी)** मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न सारणी के अनुसार प्रदान की जाती है :–

क्र0	संस्थान का नाम	ईकाई का नाम एवं विपत्र कोड़	
		संविदा भत्ता / 43S22030010544000108	
		वित्तीय वर्ष 2022–23	कुल योग
1	राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	3872208.00	3872208.00
2	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची	3040584.00	3040584.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	1857936.00	1857936.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, भागा	301968.00	301968.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, निरसा, धनबाद	1325136.00	1325136.00
6	राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी	1239840.00	1239840.00
7	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो	2148984.00	2148984.00
8	राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार	6312624.00	6312624.00
9	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	749520.00	749520.00
10	राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका	976584.00	976584.00
	कुल	**2,18,25,384.00**	**2,18,25,384.00**
रू0 2,18,25,384 / – (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी) मात्र			

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय–उप शीर्ष–44–राजकीय पोलिटेकनिकों / खनन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 21,45,00,000 / – (रू0 ईक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक– 245 / बजट दिनांक– 30.03.2022 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0025 है।
7. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची/दुमका/खुटरी/कोडरमा/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/बोकारो होगें अथवा विभाग द्वारा घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान यथा सम्भव बैंक एकाउन्ट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन करने के कम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष अंकित करेगें।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/दुमका/कोडरमा/धनबाद/लातेहार/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. विषयांकित राशि से वित्तीय वर्ष 2022–23 का भुगतान किया जाएगा तथा यह राशि केवल विश्व बैंक के संविदा पर रखे गये कर्मियों को ही भुगतान किया जाएगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदा0 सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार जो राशि देय है वही राशि का भुगतान करेगें। किसी भी प्रकार के वित्तीय अनियमितता के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होगें।
15. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
16. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव